[19/2/2024]

प्र.क्र. 1846
परिशिष्ट-'अ'

प्रश्न सं. [क्र. 1846]

परिशिष्ट - 1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

National Highways Authority of India

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

भा.रा.रा.प्रा. / परि.का.ई. / इन्दौर / विधानसभा / 2024 / 216 दिनांक 02.02.2024

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला – धार (म.प्र.)

विषय : इन्दौर वेस्टर्न रिंग रोड निर्माण में भूमि अधिग्रहण। विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1846 (सदन में उत्तर दन की दिनांक 12.02.2024) द्वारा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या प्रस्तावित इन्दौर वेस्टर्न रिंग रोड़ के निर्माण में धार विधानसभा की पीथमपुर तहसील के गांवों की भूमि अधिगृहित होगी ?	जी हॉं, इन्दौर वेस्टर्न बायपास मार्ग के निर्माण में धार विधानसभा की पीथमपुर तहसील के 5 गांवों की भूमि अधिगृहित होगी।
2	यदि हां तो कौन–कौन से गांवो की निजी भूमि का अधिग्रहण होना है? तथा इन ग्रामों में ग्रामवार कितनी–कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जावेगा? एवं पीथमपुर तहसील के इन ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाइन क्या है?	उक्त परियोजना की भू–अर्जन अंतर्गत प्रकाशित 3(a) दिनाक 17.01.2024 अनुसार पीथमपुर तहसील के 5 ग्राम – जनादी, बरदरी, कल्याणसी खेड़ी, खण्डवा एवं अकोलिया की निजी / शासकीय भूमियों का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें लगभग 83.45 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त ग्रामों के भू–अर्जन अंतर्गत अभी 3(A) का प्रकाशन होना शेष है, जिसके 3(A) का प्रस्ताव संबंधित सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन (CALA) को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। पीथमपुर तहसील के ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाइन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा दी जाना उचित होगा।
3	पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा इन आलोच्य ग्रामों में निजी तौर पर क्रय–विक्रय की गई भूमियों की रजिस्ट्रीयों में भूमि का अधिकतम व औसत मूल्य इन दो वित्तीय वर्ष क्या रहा है? क्या भूमियों का मूल्य कलेक्टर गाईड लाईन से कई गुना अधिक है?	उक्त जानकारी राजस्व विभाग से संबंधित है।
4	प्रस्तावित इन्दौर वेस्टर्न रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण में मुआवजा का निर्धारण विभाग द्वारा किस दर पर किया जाना प्रस्तावित किया है? क्या प्रदेश के सबसे बड़े इस औद्योगिक क्षेत्र की बहुमूल्य निजी भूमियों की बढ़ी हुई अत्यधिक कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र हेतु विशेष मुआवजा पैकेज क्षेत्रवासियों को दिये जोने पर शासन विचार कर रहा है?	इस संबंध में लेख है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु धारा 3(a) का प्रकाशन कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन (CALA) नियुक्त किया गया है। सक्षम प्रधिकारी, भू–अर्जन के द्वारा, पश्चिमी बायपास के निर्माण हेतु निजी / शासकीय भूमियों के अधिग्रहण की कार्यवाही, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 एवं अधिग्रहित भूमियों के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (RFCTLARR-2013) के प्रावधान अनुसार की जाती है। अधिग्रहण की जाने वाली भूमियों की मुआवजा राशि का भुगतान, राज्य शासन द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में 3(A) का प्रकाशन हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में तय की गई दरों तथा सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन की अनुशंसा के आधार पर किया जावेगा।

भवदीय,

12/2/2024
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर

प्रतिलिपि: – श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भा.रा.रा.प्रा. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।